**रजिस्टर्ड/सील्ड**

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-255/2025/711/22-2-2023-17(360)2022

लखनऊ: दिनांक: 12 मार्च, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी शान्ती देवी (बन्दी संख्या-513/15) पत्नी श्री गनेश प्रसाद दूबे, ग्राम-कौचिहा, थाना-तरबगंज, जनपद-गोण्डा का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-104/2013 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304 बी व 3/4डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-7, गोण्डा के आदेश दिनांक 05.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, महिला बंदी द्वारा दिनांक 07.10.2022 तक 09 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 02 माह 08 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं महिला बन्दी की 67 वर्ष से अधिक आयु, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-255/2025/711(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

3- पुलिस अधीक्षक गोण्डा।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in